

हुकम	76/अवप/2022 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जडाव कवर / नारापगविं	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------	--	---

2/5/24 पत्रावली पेश। बडलंजार मॉन्ट्रिगोर्ट
कर पत्रावली दिनांक - 12/06/24
को पेश हु।

**पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी
द्वारे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने
से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली
दिनांक..... को पेश हो।**

13⁶/₂₄

11/7/24

पत्रावली पेश। बडस अंतिम वकील पार्थीयाँ
सुनी गई। ऑंच रिगोर्ट प्राप्त हु। जो शा.
मिसल की गई। फर्द के साथ दस्तावेज
पेश किये। जो शा. मिसल किये गये।
वास्ते आदेश पत्रावली 15/7/2024 को
पेश हु।

15/7/24

पत्रावली पेश। बडस वकील पार्थीयाँ के दौरान प्रस्तुत
तर्कों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया
गया। पार्थीयाँ द्वारा अपना सही नाम जडाव कवर
होना कथन कर निवेश किया की प्रति की मूल्य
पर दर्ज किये नामा. मे मेश नाम फोरीबार्ड दर्ज कर
दिया हु। दुरुस्त कर जडाव कवर दर्ज किया जावे।
इस बाबत गार्म पचांगत स्वीया का प्रमाण पत्र, बैंक
खाता डाग्ररी की प्रति, भारत निवचन आयोग का पडुचान
पत्र की प्रति, आहार कार्ड की प्रति, परिवार सहाय कार्ड
की प्रति स्वयं का शपथ पत्र पेश किया हु।
अपार्थी स. 170 3 ने जवाब पेश कर पार्थीयाँ
का नाम फोरीबार्ड पत्नी दौरुखिन के स्थान पर

5/6
 10/10/2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ
---------------	-----------------------------------	---

शुद्ध कर जडावकवर पत्नि दौदूखिंदू दर्ज किसे जाने में कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है।
 T.D.R. द्विठोली द्वारा पेश जांच रिपोर्ट में ग्राम स्वीया में फौरीबाई पत्नी दौदूखिंदू नाम की कोई महिला नही होना व मृतक दौदूखिंदू आ. गोकुलखिंदू राजपुर के विरासत नाम से पाधीया का नाम दौरीबाई अंकित होना बताया है।

पुकरण में पस्तुत दस्तावेजों। इकबालिया जवाब। जांच रिपोर्ट से पुकरण स्वीकार किया जाना - भाग्योचित प्रतीत होता है।

अतः पाधीया पत्र पाधीयां स्वीकार किया जाकर अग्नि स्वाता सरगं 413 कोके ग्राम स्वीया, पंमठल स्वीया में दर्ज पाधीयां के नाम फौरी पत्नि स्व. दौदूखिंदू को शुद्ध कर जडावकवर पत्नि स्व. दौदूखिंदू राजपुर रिपोर्ट में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय अनुसार पत्नीा किये जाने हेतु तुलसीहर द्विठोली को पत्र जारी करें। पत्नावली केसल शुमार की जाकर वाह तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय से इजलास खुनाया गया।

उपसप्ट अधिकारी
 द्विठोली